राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7(4)परि/नियम/मु./2015/12166 जयपुर, दिनांकः 22/06/2016

अधिसूचना

यतः मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को संशोधित करने के लिए राजस्थान मोटर यान (संशोधन) नियम, 2015 का प्रारूप, उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजस्थान राजपत्र में यथा–प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जायें, 15 दिन के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र विशेषांक, भाग 3 (ख) दिनांक 05.02.2016 को प्रकाशित किया गया था।

और यतः उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 16.03.2016 को उपलब्ध करा दी गयी थीं।

और यतः उक्त प्रारूप नियमों पर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः अब मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 1.2 का संशोधन.– राजस्थान मोटर यान नियम, 1990, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 1.2 के उप–नियम (1) में,–

(i) खण्ड (प) के अन्त में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "।", के स्थान पर अभिव्यक्ति ";" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (प) के पश्चात्, निम्नलिखित नये खण्ड ''फ'' और ''ब'' जोड़े जायेंगे, अर्थात् :–

''(फ) **''नगरीय क्षेत्र''** से किसी नगरपालिका या किसी नगर सुधार न्यास या किसी नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए गठित किसी प्राधिकरण का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है; और

(ब) **''नगरीय मार्ग''** से कोई ऐसा मार्ग अभिप्रेत है जो नगरीय क्षेत्र के भीतर आता है।''

3. नियम 5.87 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 5.87 की विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः–

''सारणी

क्र. सं.	प्रयोजन	रकम (रुपयों में)	नियम
1	2	3	4
1.	परमिट (अस्थाई परमिट से भिन्न) की मंजूरी/नवीकरण/प्रतिहस्ताक्षर के आवेदन के लिए		5.5, 5.27 और 5.28
	(i) दो सीट वाले आटो रिक्शा	100/–	
	(ii) शैक्षिक संस्था बस/मिनीबस/टैम्पो/विक्रम/आटो तांगा	250/–	
	(iii) मिनी बस को छोड़कर मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी		
	(क) अंतरराज्यिक परमिट के लिए	1500/–	
	(ख) अंतरराज्यिक परमिट से भिन्न	750/–	
	(ग) राष्ट्रीयकृत मार्गो पर मंजिली गाड़ी	1500/–	
	(iv) मोटर–कैब/मैक्सी कैब/पब्लिक कैरियर या प्राइवेट कैरियर	300/–	

2.	परमिट (अस्थाई परमिट से भिन्न) की मंजूरी और नवीकरण के लिए (i) मंजिली गाड़ी,– (क) मिनी बस को छोड़कर पब्लिक कैरियर, प्राइवेट कैरियर, ठेका गाड़ी (ख) राष्ट्रीयकृत मार्गों पर मंजिली गाड़ी (ii) शैक्षिक संस्था बस/मिनी बस/मोटर कैब/ मैक्सी कैब, (iii) आटो तांगा/आटो रिक्शा/विक्रम/टैम्पो (iv) हल्के परिवहन यान	 1500/– 5000/– 1000/– 300/– 500/–	5.9 5.27 और 5.28
3.	30 दिन या उसके भाग के लिए अस्थाई परमिट या प्रतिहस्ताक्षर की मंजूरी के लिए	200/–	5.5
4.	गैर अस्थाई परमिट के प्रतिहस्ताक्षर या उसके नवीकरण के लिए (i) भारी परिवहन यानों के लिए (ii) मध्यम परिवहन यानों के लिए (iii) हल्के परिवहन यानों के लिए	 1500/– 1000/– 500/–	5.28
5.	विरासत या उत्तराधिकार द्वारा से अन्यथा परमिट के अन्तरण के लिए फीस (i) मंजिली गाड़ी,– (क) राष्ट्रीयकृत से भिन्न मार्ग पर मंजिली गाड़ी (ख) राष्ट्रीयकृत मार्गों पर मंजिली गाड़ी (ii) मोटर कैब, मैक्सी कैब, टैम्पो, विक्रम और आटो रिक्शा से भिन्न पब्लिक कैरियर और ठेका गाड़ियां, (iii) ठेका गाड़ी (मिनी बस, टैम्पो, विक्रम, मोटर	 3000/– 10,000/– 1500/– 1000/–	5.36

	(iii) ठेका गाड़ी (मिनी बस, टैम्पो, विक्रम, मोटर कैब और मैक्सी कैब) (iv) शैक्षिक संस्था बस/आटो रिक्शा/आटो तांगा	1000/– 500/–	
6.	(i) रा.प.प्रा. के आदेश के विरूद्ध रा.प.अ.अ. में अपील के लिए फीस (ii) प्रा.प.प्रा. के आदेश के विरूद्ध अपील के लिए फीस (iii) रा.प.प्रा./प्रा.प.प्रा. के आदेश के पुनरीक्षण के लिए फीस	500/– 500/– 500/–	5.44
7.	परमिट की दूसरी प्रति के लिए फीस (i) भाग क–प्रत्येक प्रति,– (क) मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी (i) विकृत/विरूपित के लिए (ii) खो जाने/चोरी हो जाने की दशा में (ख) मोटर कैब/मैक्सी कैब/टैम्पो/विक्रम/मिनी बस/आटो तांगा/आटो रिक्शा/पब्लिक कैरियर या प्राइवेट कैरियर (ii) भाग ख–प्रत्येक प्रति,– (क) मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी (i) विकृत/विरूपित के लिए (ii) खो जाने/चोरी हो जाने की दशा में (ख) मोटर कैब/मैक्सी कैब/टैम्पो/विक्रम/मिनी बस/ आटो रिक्शा/आटो तांगा/पब्लिक कैरियर या प्राइवेट कैरियर	 200/– 1000/– 200/– 200/– 1000/– 200/–	5.38

	(iii) अस्थाई परमिट–प्रत्येक प्रति (iv) प्राधिकार–पत्र प्रत्येक प्रति	200/–	
8.	अभिकर्त्ता की अनुज्ञप्ति,– (i) आवेदन फीस (ii) अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए प्रत्येक अतिरिक्त संस्थापन की अनुपूरक अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए	 5000/– 1000/– 1000/– प्रत्येक	5.73 (3) और 5.77
	(iii) यदि आवेदन समय के भीतर कर दिया गया है तो अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए (क) मूल अनुज्ञप्ति (ख) प्रत्येक अनुपूरक अनुज्ञप्ति के लिए	 1000/– 1000/–	5.78
	(iv) यदि आवेदन विलम्ब से किया गया है तो अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए (क) मूल अनुज्ञप्ति (ख) प्रत्येक अनुपूरक अनुज्ञप्ति के लिए	 1500/– 1500/–	5.78
	(v) दूसरी प्रति जारी करने के लिए (क) मूल अनुज्ञप्ति (ख) प्रत्येक अनुपूरक अनुज्ञप्ति के लिए	 1000/– 1000/–	5.84
	(vi) अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील के लिए	500/–	5.85
9.	परमिट के रद्दकरण के लिए आवेदन फीस (i) दुपहिया/आटो रिक्शा के लिए (ii) मिनी बस/टैम्पो/विक्रम/आटो तांगा के लिए (iii) मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी के लिए (क) अन्तरराज्यिक परमिट के लिए (ख) अन्तरराज्यिक से भिन्न परमिट के लिए	 100/– 250/– 1000/– 500/–	5.35 (3)

	(iv) मोटर कैब / मैक्सी कैब / पब्लिक कैरियर / प्राइवेट कैरियर के लिए	300 / –	
10.	किसी मंजिली गाड़ी की पहले से जारी समय सारणी में प्रत्येक संशोधन के लिए आवेदन फीस यदि परमिट–धारक द्वारा आवेदन किया जाये। (क) राष्ट्रीयकृत से भिन्न मार्गों पर मंजिली गाड़ी (ख) राष्ट्रीयकृत मार्गों पर मंजिली गाड़ी	 1000 / – 2000 / –	5.39

”

राज्यपाल के आदेश से,

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः प.7(4)परि / नियम / मु. / संशोधन–II / 92 / 12167-79 जयपुर, दिनांकः 22/06/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 21.06.2016 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. विधि (संहिताकरण) विभाग, जयपुर।
9. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
10. प्रादेशिक / अति. प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी........................समस्त।
11. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
12. समस्त प्रभारी अधिकारी कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव

Government of Rajasthan
Transport Department

No. F 7(4)/Pari/Rules/H.Q./Part-II/92/12166 Jaipur, Dated: 22.06.2016

Notification

Whereas the draft of the Rajasthan Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2015, amending the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, in exercise of the powers conferred by by section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988),was published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, in the Rajasthan Gazette Extra-ordinary dated 05.03.2016 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of fifteen days from the date on which the copies of the said notification as published in Rajasthan Gazette were made available to the public.

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 16.03.2016.

And whereas, no objection and suggestion received on the said Draft Rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 1.2.- In sub-rule (1) of rule 1.2 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, hereinafter referred to as the said rules,-

(i) in clause (u), for the existing expression ".", appearing at the end, the expression ";" shall be substituted; and

(ii) after clause (u), so amended, the following new clauses (v) and (w) shall be added, namely:-

"(v)"**Urban Area**" means the territorial area of a Municipality or an Urban Improvement Trust or an Authority constituted for development of an urban area; and

(w) "**Urban Route**" means any route which is lying within the urban area."

3. Amendment of rule 5.87.- The existing table of rule 5.87 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"TABLE

S.No.	Purpose	Amount (in Rs.)	Rule
1	2	3	4
1	For application to grant/renewal/countersignature of permit (other than temporary permit)		5.5, 5.27 and 5.28
	(i) Two seater Auto rickshaw	100/-	
	(ii) Educational Institution Bus/ Mini bus/ Tempo /Vikram/ Auto tonga	250/-	
	(iii) Stage Carriage/Contract Carriage excluding minibus,-		
	(a) For interstatal permit	1500/-	
	(b) Other than interstatal permit	750/-	
	(c)) Stage Carriage on Nationalized Routes	1500/-	
	(iv) Motor cab/ Maxi cab/Public Carrier or Private Carrier	300/-	
2	For grant and renewal of a permit (other than temporary permit)		5.9, 5.27 and 5.28
	(i) Stage Carriage,-		
	(a) Public Carrier , private carrier, contract carrier excluding mini bus	1500/-	
	(b) Stage carriage on Nationalised Routes	5000/-	
	(ii) Educational Institution Bus/ Minibus/ Motor cab/Maxi cab	1000/-	
	(iii) Auto Tonga/Auto Rickshaw/ Vikram/ Tempo	300/-	
	(iv)Light Transport Vehicles	500/-	
3	For grant of Temporary permit or counter-signature for 30 days or part thereof	200/-	5.5
4	For Countersignature of a Non-temporary permit or its renewal		5.28
	(i) For heavy Transport Vehicles	1500/-	
	(ii) Medium Transport Vehicles	1000/-	
	(iii)Light Transport Vehicles	500/-	
5	Fee for transfer of permit otherwise than by inheritance or succession		5.36
	(i)Stage Carriage,-		
	(a) Stage carriage on other than Nationalised Route	3000/-	

	(b) Stage carriage on Nationalised Routes	10,000/-	
	(ii)Public Carrier and Contract Carriages other than Motor cab, Maxi cab, Tempo, Vikram and Auto rickshaw	1500/-	
	(iii) Contract Carriage (Mini bus, Tempo, Vikram, Motor Cab, Maxi cab)	1000/-	
	(iv) Educational Institution Bus/ Autorickshaw/ Auto tonga	500/-	
6	(i) Fee for appeal in STAT against the order of STA (ii) Fee for appeal against the order of RTA (iii) Fee for revision of order of STA/RTA	500/- 500/- 500/-	5.44
7	Fee for duplicate copy of a permit (I) Part A each copy,- (a) Stage carriage, Contract Carriage- (i)For mutilated/defaced (ii)In the case of lost/theft (b) Motor Cab/Maxi Cab/Tempo/ Vikram/ Mini bus/Auto Tonga/Auto Rickshaw/ Public Carrier or Private Carrier (II) Part B each copy,- (a)Stage Carriage, Contract Carriage (i) For mutilated/defaced (ii)In the case of lost/theft (b) Motor Cab/Maxi Cab/ TempoVikram/ Mini Bus/ Auto Rickshaw/Auto Tonga/Public Carrier or private Carrier (III) Temporary permit each copy (IV) Authorization each copy	200/- 1000/- 200/- 200/- 1000/- 200/- 200/- 200/-	5.38
8	Agents Licence,- (i) Application fee (ii) For grant of Licence For grant of supplementary licence of each additional establishment	5000/- 1000/- 1000/-each	5.73(3) and 5.77
	(iii) For renewal of licence if the application is made in time (a) Principal licence (b) For each supplementary licence	1000/- 1000/-	5.78
	(iv)For renewal of licence if the application is made late (a) Principal licence (b) For each supplementary licence	1500/- 1500/-	5.78

	(v) For issue of duplicate copy of- (a) Principal licence (b) For each supplementary licence (vi) For appeal against the order of Licensing Authority	1000/- 1000/- 500/-	5.84 5.85
9	Application fee for the cancellation of permit (i) For Two Seater/Auto Rickshaw (ii) For Mini Bus/Tempo/Vikram/Auto-Tonga. (iii) For Stage Carriage/Contract Carriage (a) For interstatal permit (b) For Other than interstatal permit (iv) For Motor Cab/Maxi Cab/Public Carrier/ Private Carrier	 100/- 250/- 1000/- 500/- 300/-	5.35(3)
10	Application fee for each amendment in already issued time table of a Stage Carriage vehicle, if applied by permit holder. (a) Stage Carriage on other than Nationalised Routes (b) Stage carriage on Nationalised Routes	 1000/- 2000/-	5.39

"

By the order of Governor,

(Shailendra Agarwal)
Principal Secretary to the Government

No. F 7(4)/Pari/Rules/H.Q./Part-II/92 /12167-79

Jaipur, Dated: 22.06.201

1. The Superintendent, Government Central Press, Jaipur. This notification may kindly be published in the extra-ordinary Gazette dated 21.06.2016 and a copy thereof may be sent to this department.
2. P.S. to Principal Secretary, Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. S.A. to Hon'ble Transport Minister, Rajasthan, Jaipur.
4. P.S. to Hon'ble State Minister, Department of Transport, Rajasthan, Jaipur.
5. P.S. to Principal Secretary Finance, Rajasthan, Jaipur.
6. P.S. to Principal Secretary and Transport Commissioner, Rajasthan, Jaipur.
7. Accountant General (Commercial & Receipt Audit) Rajasthan, Jaipur.
8. Managing Director, RSRTC, Jaipur.

9. Law (Codification) Department, Jaipur.
10. All Head Quarter Officers of Transport Department, Jaipur.
11. All Additional Transport Commissioner, Zone.
12. Shri Sanjay Singhal, S.A. for updating departmental website.
13. All Regional/Addl. Regional District Transport Officers.
14. All Officer In-charge Tax Collection Centers of Transport Department.
15. Guard file.

Principal Secretary to the Government